संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग (आयुर्वेद) के कार्मिक श्री प्रेम नारायण सिंह व अन्य से संबन्धित रिट याचिका संख्या 4413 (S/S)/2005 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 17-02-2009 को पारित आदेश जिसके द्वारा 12-12-2007 को रिट याचिका संख्या 58/2006 - शेर सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश - का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने दिनांक 12-12-2007 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया है :-

"Keeping in view the circular dated 12-11-2007, the instant appeal is disposed of directing the Committee concerned to decided the appellant's representation in accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously and preferably within a period of 3 weeks from the date of receipt of a certified copy of this order and communicate the decision to the appellant within next one month and during this period the appellant shall be allowed to discharge his duties in the State of U.P. on the posts on which he has been promoted and will be paid his salary."

2. रिट याचिका से संबंधित एक अन्य याची श्री हितेश मणि शर्मा, कनिष्ठ लिपिक ने अपने प्रत्यावेदन में उत्तर प्रदेश पुनरावंटन के लिए निम्नलिखित कारण दिया है :-

i) मृतक आश्रित अधिसंख्यक पद पर तैनात होने एवं कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत / रिक्त पद के विरुद्ध अध्यतन समायोजित न होने

ii) उत्तराखंड शासन के पत्र दिनांक 18-10-2004 के प्रस्तर 5 में "अधिसंख्यक कनिष्ठ लिपिक आवंटन कि श्रेणी में न आने के कारण आवंटन स्वीकार नहीं किया गया

iii) वर्ष 2000 में कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत 18 पदो में शासनादेश का अनुसार 3 पद ही उत्तराखंड राज्य हेतु आवंटित होने के आधार पर त्रुटिपूर्ण आवंटन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

3. समिति की पूर्व बैठकों में निर्णय लिया जा चुका है कि संवर्गीय पद और संवर्ग के अधिसंख्यक पद पर कोई भिन्नता नहीं है । अतः समिति ने श्री हितेश मणि शर्मा, कनिष्ठ लिपिक का प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए उनके उत्तराखंड राज्य आवंटन को यथावत बनाए रखे जाने कि संस्तुति कि गयी ।

4. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री हितेश मणि शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए बना रहेगा । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

Deptt. of Personnel & T...
Receipt & Issued Section
22 JUN 2012
जारी किया/ISSUED